वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, मार्च ०९, २०१५

एस.ओ.285.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(६)एफडी/टैक्स डिवी./98-183 दिनांक 26.3.1999 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या राजकीय उपक्रमों के पक्ष में, लोक प्रयोजनों के लिए निष्पादित, स्थावर संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-221] राज्यपाल के आदेश से,

मनाष मार्युर, संयुक्त शासन सचिव

## FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

## NOTIFICATION Jaipur, March 9, 2015

S.O.285.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's Notification No. F.2(6)FD/Tax Div./98-183 dated 26.03.1999, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the gift deed of immovable property, executed for public purposes, in favour of the State Government, Local Bodies or State Enterprises, shall be remitted.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-221] By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government